TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY **GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI** (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./ Part file/ **P.C.** 1489 **NOTIFICATION**

Dated: 30 3 12

In pursuance of the Services Department's order No. 19 dated 16.01.2012, Shri Radha Charan, DANICS has joined as Sub-Divisional Magistrate (Seelampur), District North-East on 30.01.2012. Now, therefore,

- No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Radha Cha an, **DANICS** the power of Assistant Collector, 1st Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 2. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(ii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Radha Charan, DANICS, as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 3. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Radha Charan, DANICS, as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 4. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iv)- In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Radha Charan, DANICS, as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 5. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(V)-In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Shri Radha Charan, DANICS, as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 6. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vi)-In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints Shri Radha Charan, DANICS, as Settlement Officer(Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 7. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vii)-In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize Shri Radha Charan, DANICS, to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Dated:

(Kuldeep Singh Gangar)

Addl. Secretary (Revenue)

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./ Part file/

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette
- The Deputy Commissioner, District North-East, Delhi.
- Officer concerned through Deputy Commissioner, District North-East, Delhi.
- The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.
- 5 P.S. to Pr. Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
- Guard file.

राष्ट्राय राजधाना क्षत्र : ।दल्ला सरकार (राजस्व विभाग) 5 , शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. ७/1/९९/रा./ स्थ./स.र./डी.सी/पार्ट फाईल/ 486 अधिसूचना

दिनांक : 30/3/12

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 19 दिनॉक 16.01.2012 के सन्दर्भ में श्री राधा चरण, दानिक्स ने दिनॉक 30.01.2012 को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, (सीलमपुर), जिला-उत्तर-पूर्व का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

- (1) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री राषा चरण, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्वा विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (2) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./(पप).राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री राधा चरण, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- (3) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (पपप). दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री राषा चरण, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शिक्तियाँ जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- (4) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (पअ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पिटत धारा 04 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगतं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शिक्तयों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये श्री राधा चरण, दानिक्स को उस समय तक कलैक्टर की शिक्तयों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- (5) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (अ). विल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए श्री राधा चरण, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- (6) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (अप). पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री राधा चरण, दानिक्स को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।
- (7) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (अपप). दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री राषा चरण, दानिक्स को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

(कुलदीप सिंह गंगर)

दिनांक :

अति. सचिव (राजस्व)

सं0. 7/1/99/रा./ स्थ./स.र./डी.सी/पार्ट फाईल/ प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उप-सचिव (सा0 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सिहत ।

2. उपायुक्त, जिला- उत्तर-पूर्व दिल्ली, दिल्ली ।

3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला - उत्तर-पूर्व दिल्ली के माध्यम से ।

प्रणाली विषलेशक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

5. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली, ।

6. गार्ड फाइल ।

gropes me

्राजीव कुमार् वाशकारी (ग**०**-1)

उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-1)